**महत्त्वाचे**

महाराष्ट्र शासन
कारागृह व सुधारसेवा विभाग
## अपर पोलीस महासंचालनालय व महानिरीक्षणालय,
## कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,
दुसरा मजला, जुनी मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पुणे-०१.
फोन क्र.: (०२०) २६१२४८१५/२६१२७९०६
E-mail ID- igoffice.hm-mh@gov.in
Web Site :www. mahaprisons.gov.in

**परिपत्रक**

जा.क्र./संशोधन विभाग/शिक्षक/यचममूवि/सामंजस्य करार/ 8747 /२०२४/कक्ष-९(क), पुणे-१, दि.16 .१०.२०२४

**विषय :- यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ व कारागृह विभाग यांचे सामंजस्य करार २०२४ (MOU)-** कारागृहातील बंदी अल्प मुदतीचे व्यावसायीक शिक्षण व प्रशिक्षणाबाबत

संदर्भांकित विषयान्वये आपणास कळविणेत येते की, महाराष्ट्र कारागृह विभाग बंद्यांचे **'सुधारणा व पुनर्वसनाचे'** उद्दीष्ट सफलतेसाठी प्रयत्नशील आहे. या उपक्रमाचाच एक भाग म्हणून **यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ, नाशिक व महाराष्ट्र कारागृह विभाग** यांचेत कारागृहात विद्यापीठाचे शैक्षणिक उपक्रम राबविणेकरीता सामंज्यस्य करार दि. ५.०९.२०२४ रोजी करण्यात आला आहे.

त्याअनुषंगाने शैक्षणिक उपक्रमाचा कारागृहातील बंद्यांना लाभ घेता यावा व कारागृहातून बंदी बाहेर पडल्यानंतर त्यास उपजिविकेचे साधन उपलब्ध होण्याचे दृष्टिने तीन महिने कालावधीचे व्यावसायीक प्रशिक्षण/अभ्यासक्रम राबविण्यात यावेत. त्याकरिता यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे समन्वय अधिकारी श्री. उत्तम जाधव - शै. सल्लागार, पुणे विभागीय केंद्र (संपर्क क्र.- ९९६०६४६४०५/९४०३७७४९४० यांचेशी अधीक्षकांनी संपर्क साधून तसेच शैक्षणिक व व्यावसायीक अभ्यासक्रमाबाबतची विद्यापीठाचे संबंधित विभागीय केंद्र समन्वयक किंवा विद्यापीठाचे अधीकृत Website द्वारे माहिती प्राप्त करुन घ्यावी व अल्प मुदतीचे प्रशिक्षण/ अभ्यासक्रम राबविणेबाबत पाठपुरावा करावा.

ज्या कारागृहात मुक्त विद्यापीठाचे अभ्यासकेंद्र नाही, अशा कारागृहांनी कुलगुरु, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ यांना पत्र देवून अभ्यासकेंद्र स्थापन करणे संदर्भात कार्यवाही करावी. ज्या जिल्हा कारागृहात अभ्यासकेंद्र स्थापन करणे शक्य नाही, अशा जिल्हा कारागृहातील बंद्यांना परीक्षेकरिता शहरातील मुक्त विद्यापीठाच्या नजीकच्या केंद्रातून प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरु करावी. तसेच बंद्यांना परीक्षेसाठी कारागृहाबाहेर न नेता परीक्षेचे आयोजन संबंधित कारागृहात अधीक्षकाच्या मार्गदर्शनाखाली व संबंधित तुरुंग अधिकारी यांचे नियंत्रणात शिक्षक/संबंधित कर्मचारी यांचे द्वारे करण्यात यावे.

Acer E- YCMOU

ज्या कारागृहात शिक्षक आहेत अशा कारागृहात शिक्षण विभागाशी संबंधित सर्व कार्यवाही शिक्षकांमार्फत करण्यात यावी. तसेच ज्या कारागृहात शिक्षकांची पदे सध्या रिक्त आहेत किंवा आस्थापनेवर शिक्षक पदे नाहीत अशा कारागृहांनी सदर कामासाठी आपले कार्यालयातील एका कर्मचा-याची नेमणूक करावी. तसेच नियुक्त केलेल्या कर्मचा-यांचे नांव व संपर्क क्र. या कार्यालयास कळविण्यात यावे.

सदरबाबतचा संपर्क अहवाल सोबत दिलेल्या विहित नमुन्यात विभागीय कार्यालयामार्फत दि. २५.१०.२०२४ पर्यंत सादर करण्यात यावा. तसेच प्रपत्र **ब व क** नुसार मासिक अहवाल दर महिन्याचे ५ तारखेपर्यंत विभागीय कार्यालयामार्फत सादर करण्यात यावा. ीभागीय कार्यालयांनी आपले विभागातील सर्व कारागृहाचा संकलित अहवाल (Unicode-DVOT-SurekhMR) या Format मध्ये Soft Copy मध्ये igoffice.hm-mh@gov.in/igoffice.ro-mh@gov.in या Mail द्वारे सादर करण्यात यावा.

**सोबत:- १. माहिती विहित नमुना (३ प्रपत्र)**

16/10/24

**(प्रशांत बुरडे)**
अपर पोलीस महासंचालक व
महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०१

**प्रती,**

**१.** विशेष पोलीस महानिरीक्षक, छ. संभाजी नगर/ नाशिक विभाग
२.कारागृह उपमहानिरीक्षक, पश्चिम विभाग/पूर्व विभाग/ दक्षिण विभाग
३.अधीक्षक, मध्यवर्ती/जिल्हा/खुले/विशेष कारागृह/खुली वसाहत

## य.च.म.मु.वि. सोबतचा संपर्क अहवाल

| अ.क्र. | कारागृहाचे नाव | य.च.म.मु.वि. याच्या प्रतिनिधीशी संपर्क केला किंवा कसे? (होय/ नाही) | संबधित प्रतिनिधीचे नाव | संपर्क केल्याचा दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**प्रपत्र-ब: य.च.म.मु.वि.-अल्प कालावाधीतील अभ्यासक्रम / प्रशिक्षण**

| अ.क्र. | कारागृहाचे नाव | अभ्यासक्रमाचे / प्रशिक्षणाचे नाव | अभ्यासक्रम / प्रशिक्षण देणा-या संस्थेचे नाव | कालावधी (३ महिने / ६ महिने / १ वर्ष) | इच्छुक बंद्यांची संख्या | प्रवेशित बंद्यांची संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

प्रपत्र-क: य.च.म.मु.वि.- प्रवेशित बंद्याची यादी (प्रपत्र-ब, स्तंभ ७ च्या अनुषंगाने)

| अ.क्र. | कारागृहाचे नाव | बंदी क्रमांक | बंदींचे नाव | अभ्यासक्रमाचे / प्रशिक्षणाचे नाव | अभ्यासक्रम/ प्रशिक्षण कालावधी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |